



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 356
No. 356

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 5, 2007/चैत्र 15, 1929
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 5, 2007/CHAITRA 15, 1929

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अभिलेखना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2007

सं.ओ. 516(अ)—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजीव गांधी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (2007 का 8) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 5 अप्रैल, 2007 को उस तिथि को रूप में नियत करने में शिक्षाको उच्च अधिनियम को राष्ट्रीय उपरोक्त प्रवृत्त है।

[एफ. नं. 35-3/2007-डेस्क (पृ.)]

सुनिल कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, on 5th April, 2007

S.O. 516(E)—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 1 of the Rajiv Gandhi University Act, 2006 (8 of 2007), the Central Government hereby appoints the 5th day of April, 2007 as the date on which all the provisions of the said Act shall come into force.

[F.No. 35-3/2007-Desk (1)]

SUNIL KUMAR, Jt. Secy.